राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

क्रमांकः एफ 2(1)ग्रावि/अनु–8/2014/ जयपुर, दिनांक 05-7-2016

बैठक कार्यवाही विवरण

निर्देशानुसार संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में दिनांक 4.7.2016 (सोमवार) को विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान निम्न निर्देश दिये गयेः–

क.सं.	विषय	संबंधित अधिकारी
1	• थर्ड पार्टी निरीक्षण – अधीक्षण अभियन्ता ग्रा.वि. द्वारा 11 मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को थर्ड पार्टी निरीक्षण रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलों को प्रेषित की गयी थी, जिसमें से 7 जिलों के जवाब आये शेष 4 के जवाब नहीं आने से उनका स्पष्टीकरण लेकर कार्यवाही करें। • पीडी (एसएपी– I) द्वारा 11 संस्थानों को थर्ड पार्टी निरीक्षण हेतु कार्य दिये जिनमें से 7 की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिनमें से 5 जिलों को आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलों को प्रेषित किया गया। इसमें से 2 जिलों को एक माह से कार्यवाही नहीं करने के कारण स्मरण पत्र जारी किया गया। 4 संस्थाओं को शीघ्र निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।	पीडी, एसएपी–I, एसई आईएवाई
2	**आवास योजना** 1. अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना– • वर्ष 2015–16 की प्रथम समस्त, द्वितीय 188 व तृतीय किश्त 6 को जारी की गयी है। शेष सभी किश्तें जारी की जाए। • वर्ष 2016–17 के लिए योजना लागू करने या न करने के संबंध में शीघ्र निर्णय कराया जाए। 2. आवास योजना– • वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16 तक 3.32 लाख आवास अपूर्ण है उन्हें शीघ्र पूर्ण कराने के लिए आवश्यक कार्य योजना तैयार की जाए। • वर्ष 2016–17 के लिए भारत सरकार द्वारा 187.094 लाख के लक्ष्य आवंटित कर दिये गये है जिन्हें शीघ्र जिलों को आवंटित किया जाए। • ग्राम सेवकों को मोबाईल एप संचालन हेतु लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड भारत सरकार से जनरेट कराकर जिलों को उपलब्ध कराये जाए। • प्रशासनिक मद में जिलों द्वारा ग्राम सेवकों को उपलब्ध कराये गये मोबाईल फोन/लैपटोप आदि की क्रय व उनके वास्तविक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। • प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन परिवारों का नाम सैक 2011 की सूची में नहीं है उनका अलग से नाम इन्द्राज कर सूची बनायी गई है। इन परिवारों को शीघ्र लाभ दिलाने के लिए भारत सरकार को शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मा0 मंत्री, मा0 मुख्यमंत्री महोदया की ओर से लिखवाया जाए। मा0 मुख्यमंत्री महोदया के स्तर से भी लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है जो प्रक्रियाधीन है। • मॉडल आवास पंचायत समिति स्तर पर बनाये जाने थे। अब तक कितनी पंचायतों का निर्माण कराया गया आगामी बैठक में बतायें। हैदराबाद टीम स्टेडी के लिए भेजी जाए।	एसई आईएवाई

	• 4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के संबंध में जिलों को विस्तृत दिशा निर्देश दिये जाये तथा भारत सरकार को प्रति दी जाए।	
3	**एमपी लैड योजना** • वर्ष 2014–15 व 2015–16 के प्रगतिरत 446 अप्रारम्भ 151 कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने के लिए कार्यवाही करायी जाए। • जिन प्रकरणों में मा0 सांसदों द्वारा अभिशंषा नहीं की जा रही है उन मामलों में मा0 मंत्री महोदय की ओर से कार्य की अभिशंषा करने हेतु मा0 सांसदों को पत्र लिखवाया जाए। • योजना में लम्बित किश्त के निस्तारण के लिए सचिव महोदय की ओर से जिला कलक्टर्स को पत्र लिखे जाए। • योजना में सभी जिलों से प्रारम्भिक शेष ज्ञात कर आईडब्ल्यूएमएस पर दर्शाया जाए।	पीडी एसएपी प्रथम
4	**एमएलए लैड योजना** • वर्ष 2014–15 व 2015–16 के प्रगतिरत एवं अप्रारम्भ कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराया जाए। • मा0 विधायकों को मंत्री महोदय की ओर से पर्याप्त अभिशंषा देने हेतु पत्र लिखवाये जाए।	पीडी एसएपी प्रथम
5	**गुरू गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना** • वर्ष 2014–15 व 2015–16 के प्रगतिरत एवं अप्रारम्भ कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराया जाए। • जिलो को अतिरिक्त 100 करोड की राशि आवंटन हेतु वित्त विभाग को लिखा जाए।	परि. निदे. मोएवंमू
6	**डांग, मगरा, मेवात क्षेत्रीय विकास योजना** • योजना में क्रिटिकल गैप चिन्हिकरण के लिए सर्वे का कार्य प्रस्ताव तैयार किया जाए। • वर्ष 2016–17 के अनुमोदित कार्य योजना को पुनर्विचार हेतु मा0 मंत्री महोदय को प्रस्तुत किया जाए। • वर्ष 2014–15 व 2015–16 के प्रगतिरत एवं अप्रारम्भ कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराया जाए।	पीडी एसएपी –II
7	बीएडीपी– • वर्ष 2014–15 व 2015–16 के प्रगतिरत एवं अप्रारम्भ कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराया जाए। • योजना में निर्मित होने वाले 4 प्रशिक्षण केन्द्र बनाये जाने है जिनका शीघ्र निर्माण कराया जाए। सैल्फ फाईनेन्सिंग के तहत आईटी केन्द्रों पर लिये जाने वाले प्रशिक्षण की जानकारी टीएडी विभाग से प्राप्त कर समीक्षा करें। • वर्ष 2016–17 की कार्य योजना को लागू करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।	पीडी एसएपी –II
8	9 विधान सभा प्रश्न शेष है जिन्हें इस सप्ताह पूर्ण कराए जाए।	सं.शा. सचिव, प्रशा., समस्त योजना प्रभारी
9	• विभिन्न योजनाओं की वर्ष 2014–15 व 2015–16 की 35000 कार्यो के विपरीत 9319 सीसी जारी की गयी। • 100 से अधिक बंद पडी योजनाओं की राशि संबंधित खातों में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। • वित्तीय सलाहकार एवं अधीक्षण अभियन्ता, ग्रा.वि. मिलकर ऑडिट हेतु जिलों में टीम भेजेगे।	एसई आईएवाइ एफए
10	महात्मा गांधी नरेगा की तर्ज पर राज्य प्रवृर्तित योजनाओं में यथा डांग, मगरा, मेवात, गुरू गोलवलकर, एमएलए लैड, स्व–विवेक के योजनावार राज्य स्तरीय बैंक में खाते खोले जावे। इस संबंध में वित्त विभाग, एनआईसी एवं बैंको के साथ किये जाने वाले कार्यो के संबंध में बैठक दि0 27.6.2016 को रखी गयी इसमें एक बैंक का चयन कर आगे कार्यवाही की जाए।	एफए
11	मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाए– 1. डांग, मगरा, मेवात से 20 प्रतिशत राशि दिये जाने की समीक्षा के लिए पत्रावली मा0 मंत्री	पीडीएसएपी –II

	महोदय को भिजवायी जाए जिसमें यह निर्णय लिया जाना है कि वर्ष 2016–17 में एमजेएसए के लिए राशि उपलब्ध करायी जानी है अथवा नहीं। 2. शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग कोटा संभाग के प्रभारी है। संभाग के जिलों की अद्यतन प्रगति से प्रभारी श्री योजना द्वारा अवगत कराया जाये।	सं.शा.स.प्रशा.
12	आईडब्ल्यूएमएस सोफ्टवेयर में जिओटेगिंग हेतु पुनः बैठक रखी जाए ।(12.07.2016)	परि. निदे. मोएवंमू
13	डीआरडीए प्रशासन में 40 करोड की कमी चल रही है इसके लिए भारत सरकार को लिखा जाए तथा 13 करोड रूपये अधीक्षण अभियन्ता ग्रा.वि. द्वारा आवास योजना के प्रशासनिक मद से उपलब्ध कराया जा सकता है इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।	एफए एसई.ग्रा.वि.
14	जैसेन्दर स्टेशन बाडमेर की विजिट रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।	(पीडी, एसएपी–I–II, एफए
15	गोचर भूमि विकास बोर्ड के गठन की पत्रावली मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन उप सचिव बायोफ्यूल को हस्तान्तरित की जाऐ।	(पीडी, एसएपी–II)

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

5.7.16
(सी.एल.वर्मा)
परि0निदे0 एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–</u>

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रा.वि.विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.विभाग
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी–I/ मोएवंमू ग्रा.वि. विभाग।
6. परियोजना निदेशक(एसएपी–II) ग्रा.वि.विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन उप सचिव, बायोफ्यूल।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई/श्रीयोजना
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

5.7.16
परि0निदे0 एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू)